रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012020-215750
CG-DL-E-27012020-215750

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2020/माघ 7, 1941
No. 355] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2020/MAGHA 7, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2020

(आयकर)

का.आ. 387(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का. आ. 2752(अ) दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित आयकर की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची-1 में

(i) क्र. सं. 113 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया जाएगा;

(ii) क्र. सं. 112 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी :-

क्र. सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग	मामले अथवा मामले का वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
112	प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त, गुवाहाटी	गुवाहाटी, असम	(क) असम राज्य में: कामरूप (नगर), कामरूप (ग्रामीण), नगांव, मोरीगांव, लखीमपुर, धीमाजी, सोनितपुर, दरांग, उदलगुड़ी, नलबाड़ी, बारपेटा, बोंगईगांव, धुब्री, बाक्सा, चिरंग, गोलपाड़ा, कोकराझार,	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तम्भ (1) की मद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामलों (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक

			होगाई, साउथ सलमारा, मंकाचर तथा विश्वनाथ; (ख) अरूणाचल प्रदेश राज्य में: पूर्वी कमेंग, पश्चिमी कमेंग, तवांग लोवर सुवांसिरी पापुम परे कुरूंग कुमे, पक्के के सांग का दांडी तथा कामले जिले (ग) मेघालय राज्य में: पूर्वी गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स, दक्षिणी गारो हिल्स, उत्तरी गारो हिल्स तथा दक्षिणी पश्चिमी गारो हिल्स जिले।	(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हैं; (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में है। (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति	अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले;

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 6/2020/फा. सं. 187/02/2020 (आ.क.नि.I)]

गुलजार अहमद वानी, अवर सचिव